आदेश का क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
	अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख मे संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत के द्वारा अनुपस्थित। जमाबंदी रैयत कपील लोहरा पिता बुधनाथ लोहरा के द्वारा प्रश्नगत भूमि से सबंधित साक्ष्य के रूप कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया हैं। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त हैं,	
	जॉच प्रतिवेदनानुसार मौजा पोढ़ा, थाना नं0 73 के सर्वे खतियान में खाता सं0 70 मधे रकबा 1.36 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में गैरमजुरूआ खास दर्ज है।	
	राजस्व मांग पंजी ii भाग I पृष्ट सं0 60 खाता सं0 70 मधे रकबा 1.36 एकड़ भूमि कपील लोहरा पिता बुधनाथ लोहरा के नाम से दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है।	
	संबंधित पक्ष के द्वारा भूमि बन्दोबस्ती / जमाबंदी से संबंधित स्पष्ट व नियमानुकुल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। रैयत द्वारा दर्षवार लगान जमा दर्ज नहीं पाया गया।पंजी II में मात्र एक लगान रसीद दिनांक 10.12.1993 कटा दर्ज है। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान मे संबंधित पक्ष का स्पष्ट दखल-कब्जा नहीं है।	
	राजस्व उपनिरीक्षक एप अंचल निरीक्षक के द्वारा मौजा पोढ़ा थाना नं0 73 खाता सं0 70 मधे रकबा 1.36 एकड़ भूमि का जमाबंदी रैयत कपील लोहरा पिता बुधनाथ लोहरा के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने का अनुशंसा किया गया है।	
	अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एव अनुशंसा के आधार पर मौजा पोढ़ा थाना नं0 73 खाता सं0 70 मधे रकबा 1.36 एकड़ भूमि की जमाबंदी को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत नियमानुसार रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।	
	अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे,	
	लेखापित संशोधित ह०/ 27/11/2020 अंचल अधिकारी कर्रा। ह०/ 27/11/2020 अंचल अधिकारी कर्रा।	